Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2025/177

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ....बयाना..........................

रजनीकान्त आदि ....बनाम .... मनोहरी वगै...............................

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ....नं.......................सन् 88/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
26/05/25	प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण द्वारा मूल अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. 1567, 1569, 1570 वाकेग्राम चकबिडयारी जो खसरा नंबरान 1571, 1572 चकबिडयारी एक ही डौल मेड के अंदर हैं के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। दीगर व्यक्ति को रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करें। डौल मेडों को नहीं तोडें। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। हमने एड. प्रार्थी को सुना। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन करने पर अप्रार्थीगण के विरूध्द अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.08.2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम चकबिडयारी तहसील बयाना में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन आदेश का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.08.2025 को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी ... भरतपुर

18/8/25 पीठासीन अधिकारी.............................है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक....1/9/25...को पेश है।

रीडर
ओ/एस.डी.एम.

2619/25

प्रकरण आज प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तारीख पेशी से पूर्व तलब किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त किया जावे। प्रार्थीगण की पहचान श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा द्वारा की गई।

रजनीकान्त
राजेन्द्र कुमार
ललित कुमार
मैं प्रार्थीगण को शनाख्त करता हूँ
29/8/25

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)